पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

सूचना आयोग के नये कार्यालय का उद्घाटन
गोपनीयता के संबंध में पुरानी मानसिकता से छुटकारा पाना होगा - उपराष्ट्रपति
कानून के दुरुपयोग पर भी विचार होना चाहिए - राज्यपाल
अधिनियम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की अच्छी शुरूआत हुई है - मुख्यमंत्री

लखनऊः 11 जुलाई, 2016

उपराष्ट्रपति श्री मो0 हामिद अंसारी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के नये भवन 'आर0टी0आई0 भवन' का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री ए0पी0 शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री अहमद हसन, राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी, मुख्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी व अन्य सूचना आयुक्तगण, मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल, पुलिस महानिदेशक श्री जावीद अहमद व अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने कहा कि सूचना का अधिकार एक सशक्त साधन है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नागरिकों की क्षमता को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा देता है। आजादी के बाद भारत में पारित यह सर्वाधिक सशक्त और प्रगतिशील कानूनों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को हाशिये पर पडे और वंचित लोगों से जुडे मुद्दों को उठाने में मदद मिलती है।

श्री अंसारी ने कहा कि सूचना के अधिकार के बारे में सरकारी कार्याधिकारी को संवेदनशील बनाये जाने तथा सभी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आर0टी0आई0 से संबंधित प्रशिक्षण को शामिल करने की जरूरत है। लोकाधिकारियों को सक्रिय करते हुए नागरिकों के उपयोग के लिए सार्वजनिक तौर पर यथासंभव अधिकतम सूचना स्वेच्छापूर्वक जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं और लेन-देन की गोपनीयता के संबंध में पुरानी मानसिकता से छुटकारा पाना होगा।

राज्यपाल श्री राम नाईक ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'सूचना का अधिकार' कानून एक वरदान है जिससे भ्रष्टाचार जैसे अभिशाप को दूर किया जा सकता है। सरकारी कामकाज में स्वच्छता लाने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया है। सूचना का अधिकार कानून आने के बाद सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है जिसे और गति देने के आवश्यकता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून के दुरुपयोग पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के द्वारा किन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध में जनता में जागरूकता की जरूरत है।

श्री नाईक ने कहा कि नये भवन के बन जाने से जहाँ एक तरफ कामकाज की परिस्थितियाँ बदली हैं वही जनता में समय पर काम होने की अपेक्षा भी बढ़ी है। प्रदेश के सभी जनसूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण स्वागत योग्य कदम है। सूचना आयोग से जुड़े लोग पूरी प्रमाणिकता और ईमानदारी से शपथ को व्यवहार में लायें।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अधिनियम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की अच्छी शुरूआत हुई है। लोगों में यह भय है कि कल जवाब भी देना है। आयोग का नया कार्यालय बन जाने से कामकाज में ज्यादा सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी संसाधनों की कमी पूरी करने का प्रयास करेगी।
न्यायमूर्ति श्री ए0पी0 शाही ने कहा कि आधुनिक परिवेश में सूचना के अधिकार का महत्व बढ़ा है। सूचना पाने के अधिकार और कर्तव्य में परिवर्तन भी आया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए सूचना प्राप्त करना एक नैसर्गिक भावना है।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिष्ट ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

राज्यपाल ने चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी जाकर उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अमौसी हवाई अड्डे पर उन्हें विदाई भी दी।

अंजुम/ललित/राजभवन (241/11)

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के नवीन भवन
RTI भवन
का लोकार्पण
श्री मो. हामिद अंसारी
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति
के कर कमलों द्वारा
श्री राम नाईक
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश
तथा
श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
की गरिमामयी उपस्थिति में
दिनांक 11 जुलाई, 2016 को सम्पन्न हुआ।
जावेद उस्मानी
कार्यदायी संस्था : उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ

श्री मो. हामिद अंसारी
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा
श्री राम नाईक
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश
तथा
श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
की गरिमामयी उपस्थिति में
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के नवीन भवन
RTI भवन
का लोकार्पण
11 जुलाई, 2016
जावेद उस्मानी
श्री राम नाईक
श्री मो० हामिद अंसारी

श्री मो. हामिद अंसारी
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा
श्री राम नाईक
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश
तथा
श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश